(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे किए गए स्थानवार कार्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) किस प्राधिकार के अंतर्गत इस तरह के अतिरिक्त निर्माण करने/परिवर्तन करने के कार्य किए गए ;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी आवासों के रख-रखाव के लिए व्यय की जाने वाली अनुरक्षण निधि से अतिरिक्त निर्माण परिवर्तन करने के अनधिकृत कार्य की जांच कराने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थंगन) : (क) अन्य अस्पताल भवनों के साथ-साथ सफदरजंग तथा डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल परिसरों में स्थित दोनों सुपर बाजारों का दैनिक रखरखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। तथापि, सुपर बाजार परिसरों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भारी परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) यद्यपि सुपर बाजारों का दैनिक रखरखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा परन्तु उस पर होने वाले खर्च से अस्पताल परिसर के अनुरक्षण लेखा शीर्ष में डाला जाता है। अस्पताल परिसर में स्थित सुपर बाजार के रखरखाव के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई पृथक खाता नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सैनिक फार्म क्षेत्र पर बंगलों का निर्माण

636 श्री **प्रमोद महाजन** : क्या **शहरी विकास** मंत्री 12 मार्च, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2259 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक फार्म क्षेत्र में अभी तक किए गए अनधिकृत निर्माण का ब्यौरा क्या है ;

(ख) अनधिकृत निर्माण को न करने देने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारी कदम उठाए गए ;

(ग) अनधिकृत निर्माण को नष्ट करने के लिए तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए गए ;

(घ) अभी तक कितने अनधिकृत निर्माण नियमित किए गए है और इसके क्या कारण है और कितने अनधिकृत निर्माणों को नष्ट किया जाना है ;

(ङ) एम.सी.डी./डी.डी.ए. के उन कर्मचारियों जिसकी जांच पड़ताल के पश्चात मामले में मिली भगत स्थापित की गई के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या ऐसे कोई मामले हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा स्थगन-आदेश दिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) स्थागन-आदेश को खारिज करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थूगन) :(क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि 1-1-1990 से सैनिक फार्म में अनाधिकृत निर्माण के 226 मामलों का पता लगाया गया है। इस अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा किसी अनाधिकृत निर्माण/ढांचे को नियमित नहीं किया गया है।

अनाधिकृत निर्माण का पता लगते ही डी.एम.सी. अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की जाती है और चालू अवस्था में ही अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इस प्रश्न की विषय-वस्तु दिल्ली नगर निगम से संबंधित है। दिल्ली नगर निगम ने शून्य जानकारी भेजी है।

(च) तथा (छ) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि सैनिक फार्म में 1990 से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पी.सं० 86-ए के बारे में सुरजीत सिंह बनाम दिल्ली नगर निगम के एक मामले में स्थगन आदेश दिया हुआ है। यह मामला न्यायालय में चल रहा है ।

Flood prone areas in the State of Bihar

637. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) which are the flood prone areas in the State of Bihar,

(b) out of these areas, which areas suffered from floods during the last three years;

(c) the estimates of damage done due to floods submitted by Bihar Government luring the last three years;

(d) the amount of aid provided by the Central Government against those estimates during the last three years. and

(e) the reasons of the differences, if any, between the estimates submitted by the Bihar Government and the Central assistance provided for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Rashtriya Barh Ayog has assessed an area of 42.6 lakh hectare as flood prone in the State of Bihar. On an average an area of about 14.45 lakh hectare gets affected annually. During the last three years 14 districts were mainly affected due to floods viz., Darbhanga, Gopalganj, Khagaria, Bhagalpur, Madhubani, Muzaffarpur, Madhepura, Patna, Saharsha, Supaul, Sitamarhi, Samastipur, West Chaparan and Katihar.

(c) to (e) Government of Bihar has reported damage to crops, houses and public utilities to the extent of Rs 20.14 crores, Rs. 22.14 lakhs and Rs. 306.41 crores during 1991-92, 1992-93 and 1993-94 respectively. Under the existing scheme of financing relief expenditure, the State Government undertakes relief and rehabilitation measures in the wake of natural calamities including floods using the corpus of the calamity Relief Fund (CRF). Bihar has an annual CRF of Rs. 35.00 crores consisting of Central share of Rs. 26.25 crore and State share of Rs. 8.75 crore. The Central share of CRF has been released to the State Government during the last 3 years for undertaking relief and rehabiltation measures in wake of natural calamities.

सरदार सरोवर परियोजना पर पुनर्विचार करने से संबंधित प्रतिवेदन की जांच

638. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने सरदार सरोवर परियोजना पर पुनर्विचार करने के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन की जांच करने के लिए सरकार को निदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा समिति के प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थूगन) (क) से (घ) जी, हां। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भारत सरकार की अनुक्रियायें सुनवाई की अगली तारीख अर्थात् 13-12-94 को न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए । तथापि, इस रिपोर्ट की गोपनीयता को बनाए रखा जायेगा ।

उड़ीसा में पोलेरु सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाना

639. **श्री भगवान माझी :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिग्रहण समस्या और अन्य अवरोधों को, जिनसे उड़ीसा में पोलेरु